

UPAD010051982015



न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय कक्ष संख्या 1, इलाहाबाद।

पीठासीन—राम किशोर शुक्ल (एच०जे०एस०)

**सत्र परीक्षण संख्या—657 / 2015**

उत्तर प्रदेश राज्य

—————अभियोजनपक्ष

बनाम

दिलीप कुमार चौरसिया पुत्र बद्री प्रसाद चौरसिया

ग्राम चिरौड़ा थाना फूलपुर जनपद इलाहाबाद।

————— अभियुक्त

मुकदमा अपराध संख्या—207 / 2015

धारा—498ए.304बी भारतीय दण्ड संहिता एवं  
3 / 4 डी०पी० एकट।

थाना—फूलपुर, जनपद—इलाहाबाद।

**निर्णय**

थाना फूलपुर जनपद इलाहाबाद की पुलिस द्वारा अपराध संख्या—207 / 2015 धारा—498ए, 304बी भारतीय दण्ड संहिता एवं 3 / 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम से सम्बंधित अपराध में अभियुक्त के विरुद्ध आरोपपत्र न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सम्बंधित मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 06.07.2015 को अपराध का संज्ञान लेकर अभियुक्त दिलीप कुमार चौरसिया के विरुद्ध मामला दिनांक 17.08.2015 को सत्र सुपुर्द किया गया, जो सत्र परीक्षण संख्या 657 / 2015 के रूप में पंजीकृत हुआ। माननीय सत्र न्यायाधीश, इलाहाबाद के आदेशानुसार यह मामला स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी बरमदास चौरसिया द्वारा दिनांक 01.05.2015 को 19.30बजे थाना फूलपुर में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी गयी कि वादी ने अपनी लड़की अनीता चौरसिया की शादी हिन्दू रीति रिवाज से 29 नवम्बर 2011ई० को दिलीप चौरसिया पुत्र श्री बद्री प्रसाद चौरसिया के साथ हुआ था। वादी ने शादी के समय दहेज में 1 ग्लैमर हीरो होण्डा कंपनी की गाड़ी का पैसा नगद तथा 11000/-रूपये तिलक दिया था

और 1 सोने की चैन, 3 नग सोने की अंगूठी, घड़ी, फ्रीज, कूलर, आलमारी, रंगीन टी0वी0, बैड, पलंग, गद्दा व बर्तन आदि सामान दहेज के रूप में दिया था तथा लड़की को सोने का झुमका, पायल आदि सामान शादी में वादी ने दिया था। 30 नवम्बर 2011 को लड़की की विदाई किया तथा 10 दिन बाद पुनः इनके घर लड़की की विदाई के लिए आया तो विदाई करने से इन्कार कर दिए कहे कि दहेज में पचास हजार रुपये और दोंगे तब हम लड़की की विदाई करेंगे। वादी अपने घर वापस चला गया। करीब दो माह बाद काफी विनती करने के बाद लड़की की विदाई किये मगर दहेज में पचास हजार रुपये की लड़की से बराबर मॉग करते रहे। दिनांक 30.4.2015 को करीब 7बजे शाम वादी की लड़की अनीता ने फोन किया कि दस हजार रुपये चाहे जैसे इनको (दिलीप) को दे दो। वादी ने पूछा दिलीप कहाँ हैवही मॉग रहे हैं इसके बाद दिलीप फोन लेकर कहे कि कल रुपया लेकर चले आना। वादी रुपया देने में अपनी मजबूरी जाहिर किये उसके बाद फोन काट दिए। दिनांक 01.05.2015 को सुबह करीब 10बजे सास हरदेई ने कहा कि दहेज का पचास हजार नहीं दिलवा रही है इसको मार डालो। सास के ललकारने पर पति दिलीप चौरसिया व सोनू उर्फ सनी व भोलू ने जलाकर वादी की लड़की को मार डाला और वादी को उपरोक्त घटना की सूचना भी नहीं दिये। वादी के रिस्तेदार द्वारा उन्हें सूचना मिली। घटना के बारे में जब वादी स्वरूप रानी हास्पिटल पहुँचा तो उसे जानकारी मिली की लाश पोस्टमार्टम में रखी है। तदुपरान्त थाने में लिखित तहरीर प्रदर्श क-1 दिया।

वादी मुकदमा की उपरोक्त सूचना के आधार पर थाना फूलपुर इलाहाबाद में दिनांक 01.05.2015 को 19.30 बजे अभियुक्तगण पति दिलीप चौरसिया, सास हरदेई उर्फ महदेई, भतीजा सोनू उर्फ सनी एवं भोलू के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या-207/2015 धारा-498ए, 304बी भारतीय दण्ड संहिता एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम पंजीकृत किया गया।

विवेचक ने दौरान विवेचना घटनास्थल के नक्शा नजरी तैयार किया। लाश का पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम कराया। गवाहों के बयानात आदि लेने के उपरान्त पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर अभियुक्त दिलीप कुमार चौरसिया पुत्र बद्री प्रसाद चौरसिया के विरुद्ध मु0अ0स0-207/2015 धारा 498ए,304बी भारतीय दण्ड संहिता एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अधीन आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया तदोपरान्त अभियुक्त दिलीप चौरसिया की उपस्थिति अवर न्यायालय में सुनिश्चित होने पर वाद को सत्र न्यायालय में सुपुर्द किया गया।

न्यायालय द्वारा अभियुक्त दिलीप कुमार चौरसिया के विरुद्ध दिनांक-30.

01.202015 को धारा 498ए, 304बी भारतीय दण्ड संहिता एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया, जिससे अभियुक्त ने इन्कार किया और विचारण की मांग की।

अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में पी0डब्लू0-1 वादी मुकदमा बरमदास चौरसिया, पी0डब्लू0-2 मोहन प्रजापति, पी0डब्लू0-3 अरबिन्द चौरसिया, पी0डब्लू0-4 लाल जी प्रजापति, पी0डब्लू0-5 लालमणि चौरसिया, पी0डब्लू0-6 धर्मन्द्र कुमार चौरसिया, पी0डब्लू0-7 डॉ पीयूष कुमार पाण्डेय पोस्टमार्टमकर्ता एवं पी0डब्लू0-8 लाल प्रताप सिंह विवेचक को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई साक्षी अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अभियोजन द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में लिखित तहरीर प्रदर्श क-1, पंचायतनामा प्रदर्श क-2, पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क-3 को साबित किया गया है एवं आरोप पत्र प्रदर्श क-4, चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क-5, नक्शा नजरी प्रदर्श क-6, नकल रपट नं0-09 की छायाप्रति प्रदर्श क-7, चिट्ठी सी0एम0ओ0 प्रदर्श क-8, पुलिस फार्म-13 प्रदर्श क-9, फोटो नाश प्रदर्श क-10, चिट्ठी प्रतिसार निरीक्षक, प्रदर्श क-11, नकल रपट सं0-11 की कार्बन प्रति प्रदर्श क-12 की औपचारिक सत्यता बचावपक्ष द्वारा स्वीकार की गयी है।

अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति के उपरान्त अभियुक्त का कथन अन्तर्गत धारा 313 द0प्र0सं0 अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने मृतका के साथ शादी होने के तथ्य को स्वीकार करते हुये शेष तथ्यों को अस्वीकार किया है तथा झूठी तहरीर देकर अभियोग पंजीकृत कराने व गवाहों के द्वारा गलत बयान दिया जाना बताया व कहा कि उसके ससुर ने उसे रूपया पच्चीस हजार उधार दिया था तथा पत्नी के संबंध में दुर्घटना होने पर झूठा मुकदमा उसके विरुद्ध लिखा गया है। वह निर्दोष है उसने कोई घटना कारित नहीं की है। दुर्घटनावश आग लगने से उसकी पत्नी अनीता व पुत्र आदित्य जल गये थे इलाज के दौरान पुत्र आदित्य बच गया व पत्नी की मृत्यु हो गयी थी।

अभियुक्त द्वारा अपने बचाव में डी0डब्लू0-1 मूलचन्द्र प्रजापती व डी0डब्लू0-2 राजेन्द्र प्रसाद यादव को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया है तथा जरिये कागजात सूची 30ख छायाप्रति रेल टिकट दिनांकित 29.04.2015 नई दिल्ली से इलाहाबाद जंक्शन दाखिल किया गया है व जरिये कागजात सूची 28ख आदित्य चौरसिया उम्र 2साल के इलाज से संबंधित प्रपत्र अस्पताल शकुन्तला मल्टी स्पेशलिटी हास्पिटल त्रिवेणीपुरम झूँसी से संबंधित प्रपत्र व फोटोग्राफ दाखिल किये

गये हैं।

इस न्यायालय अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्री राज कुमार सिंह तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री राम अभिलाष सिंह की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया।

अभियोजन की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त ने मृतका को शादी होने की तिथि दिनांक 29.11.2011 के 7 साल के भीतर दिनांक 01.05.2015 को मृतका को जलाकर मार डाला है तथा मृतका की पहली विदाई के समय ही अभियुक्त ने पचास हजार रुपये की मॉग की थी। घटना के एक दिन पहले 30.4.2015 को फोन पर मृतका ने अपने पिता से अभियुक्त को दस हजार रुपये देने के लिये फोन किया था। फोन पर अभियुक्त ने भी वादी जो मृतका का पिता है से बात किया था व पैसा न मिलने पर अगले दिन घटना कारित की है। पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक साक्ष्य व चिकित्सीय साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध घटना साबित है। अभियुक्त को अन्तर्गत धारा 498ए, 304बी भारतीय दण्ड संहिता व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अपराध में दण्डित किया जाये।

बचावपक्ष की ओर से तर्क किया गया कि अभियुक्त एवं मृतका घटना के पूर्व दिल्ली में रहते थे तथा 29.4.2015 को दिल्ली से चलकर 30.4.2015 को इलाहाबाद आये हैं। यदि अभियुक्त का उद्देश्य दहेज के लिये मृतका की हत्या करना होता तो वह यह घटना दिल्ली में ही कारित कर सकता था न कि गाँव में आकर घटना कारित करता। नक्शानजरी प्रदर्श क-6 में घटनास्थल को “ए” स्थान से दिखाया गया है जो कि कमरा है। घर में कोई रसोई नहीं है अतः मृतका किसी कमरे में खाना बना लेती थी। स्टोप पर बच्चे के लिये दूध गरम करते समय स्टोप में आग लगने से मृतका व उसका बच्चा दोनों जल गये थे जिसे इलाज हेतु शकुन्तला अस्पताल लेकर गये जहाँ बच्चा ठीक हो गया किन्तु मृतका की मृत्यु हो गयी। वस्तुतः अभियुक्त ने कोई घटना कारित नहीं किया है। यह घटना दुर्घटना के फलस्वरूप हुयी है। अभियुक्त ने वादी अथवा मृतका से न तो कभी दहेज की मॉग की न ही मृतका को जलाया। वादी ने अभियुक्त से पच्चीस हजार रुपये उधार लिया था। उन पैसों को न वापस करना पड़े इसलिये उसने दुर्घटनावश हुई मृतका की मृत्यु के लिये उसे झूठा फंसा दिया। वादी के अतिरिक्त परीक्षित साक्षीगण ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है साथ ही बचावपक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी ने भी घटना स्टोप फटने से होना बताया है। अभियोजन कथानक झूठा है। अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाये।

उभयपक्षों के तर्कों के आलोक में पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य का परिशीलन किया जो इस प्रकार हैः—

पी0डब्लू0-1 बरमदास चौरसिया जो कि प्रस्तुत प्रकरण के वादी मुकदमा भी हैं ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि उसकी लड़की अनीता चौरसिया की शादी 29 नवम्बर 2011 को दिलीप चौरसिया पुत्र बद्री प्रसाद चौरसिया नि0 चिरौरा थाना फूलपुर इलाहाबाद के साथ हुयी थी। लड़की की विदाई 30 नवम्बर 2011 को हुयी थी। उसने शादी में हीरो होन्डा ग्लैमर गाड़ी का पैसा, ग्यारह हजार रुपया नगद, एक सोने की चैन, 3 नग सोने की अंगूठी, घड़ी, कूलर, फ़िज, रंगीन टी0वी0 बर्टन इत्यादि दिया था। लड़की को सोने का झुमका, पायल दिया था। लड़की विदा होकर ससुराल गयी। दस दिन बाद वह लड़की को विदा कराने गया। लड़की की विदाई उसकी ससुराल वाले नहीं किये। उसके दामाद दिलीप, सास, हरदेई उर्फ महदेई, जेठ के लड़के सोनू उर्फ शनि, भोलू पुत्रगण धर्मेन्द्र कुमार ने दहेज के रूप में पचास हजार रुपये की मांग किया था। वह अपने घर चला आया। फिर दो महीने बाद गया। 30.4.15 को 7बजे शाम को उसकी लड़की अनीता ने घर फोन कर कहा कि पापा कम से कम दस हजार रुपया भेज दीजिये। उसने कहा कि दिलीप पास है तो कहा हॉ तो दिलीप को फोन दे दो। दिलीप ने फोन लेकर मुझसे कहा कि कल रुपया लेकर आ जाइयेगा तो मजबूरी जाहिर किया और कहा कि कल रुपया नहीं ला पाऊँगा इसके बाद दिलीप ने फोन काट दिया। दिनांक 1.5. 2015 को लगभग 12, 12-1/2 बजे दिन मेरे एक रिस्तेदार ने फोन किया कि तुम्हारी लड़की को जला दिये हैं। उसकी लड़की को पति दिलीप चौरसिया, सास हरदेई उर्फ महदेई व जेठ के लड़के सोनू उर्फ शनि व मोलू ने पचास हजार रुपये दहेज के लिये मार डाला। लड़की के ससुराल वालों ने मरने की खबर नहीं दिया था। वह अपनी लड़की के ससुराल चिरौरा जा रहा था वहाँ गांव के कुछ लोगों ने हंडिया बाजार में मुझे बताया कि लड़की को स्वरूप रानी अस्पताल ले गये हैं। उसने अपनी लड़की की मर्चरी हाउस में लाश को देखा। साक्षी को तहरीर कागज संख्या 5अ/1 लगायत 5 अ/2 दिखाया गया तो साक्षी ने कहा कि यह तहरीर उसके लेख व हस्ताक्षर में है। यही तहरीर उसने थाना फूलपुर में दिया था। तहरीर पर प्रदर्श क-1 डाला गया। उसकी लड़की को चीरघर भेजने के लिए सील मोहर उसके सामने नहीं किया गया था। साक्षी को पंचायतनामा कागज संख्या 7अ/2 लगायत 7अ/3 दिखाया गया तो साक्षी ने अपने हस्ताक्षर की पुस्ति की। पंचायतनामा पर प्रदर्श क-2 डाला गया। पुलिस वालों ने पंचायतनामा उसके सामने लिखकर उसका हस्ताक्षर बनवाया था। मजिस्ट्रेट साहब थे या नहीं वह नहीं पहचाना था। घटना के

बाबत सी0ओ0 साहब ने बयान किया था।

उक्त साक्षी ने अपनी जिरह में कहा है कि उसकी लड़की अनीता का तीन वर्ष का एक बेटा आदित्य है। वह जीवित है या मर गया घटना के बाद उसे नहीं मालूम क्योंकि वह घटना के बाद कोई खोज खबर नहीं लिया। उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि घटना में उसका नाती आदित्य भी जला था या नहीं। उसे यह भी नहीं पता कि आदित्य शकुन्तला हास्पिटल में भर्ती था या नहीं। उसने दिनांक 01/05/2015 को अपनी बेटी अनीता की लाश दो-ढाई बजे दिन में चौर घर पर देखी थी। लाश का पंचायतनामा उसके सामने हुआ था। जब पंचायतनामा हुआ था तब उसने किसी मुल्जिम का नाम नहीं लिखा था। पंचायतनामा शाम को 4-5 बजे हुआ था। दिलीप चौरसिया को 01/05/2015 को ही इन्स्पेक्टर फूलपुर अपने साथ लेकर थाने गये थे। वे लोग लगभग 7 बजे शाम को थाना फूलपुर पहुँच गये। इंस्पेक्टर साहब उसे तीन-साढे तीन बजे दिन में ही चौरघर पर मिल गये थे। उसने उनसे बता दिया था कि वह लड़की का पिता है। 7बजे थाने पर पहुँचने के बाद लगभग 7-1/2 बजे प्रदर्श क-1 लिखा। उसी समय थाने में सी0ओ0 साहब ने उसका बयान लिया। फिर वह 9बजे रात अपने घर चला गया। उसके बाद 18 जून को उसका बयान लिया गया। उसकी लड़की अपने पति के साथ दिल्ली में रहती थी। घटना के तीन दिन पहले दिल्ली से अपने गॉव आयी थी। 30.4.2015 को उसकी लड़की ने किस नम्बर से फोन किया था वह नहीं बता सकता। घटना के पहले उसने अपनी लड़की व दामाद या उनके घर वालों से कभी कोई पैसा नहीं लिया था। 15.9.2014 को उसकी लड़की उसके घर पर थी। उस दिन उसके दामाद ने 2500रुपये बैंक के माध्यम से उसके खाते में अपनी बीवी बच्चे के लिये जमा किया था। यह कहना गलत है कि लड़की के मरने पर उसने अभियुक्त को ब्लैकमेल करने के आशय से नाजायज मॉग की, जिसके पूरा न होने पर उसने झूठा मुकदमा अभियुक्त के विरुद्ध लिखा दिया। लड़की के जीवनकाल में उसने कोई प्रार्थनापत्र या शिकायत मुल्जिम के खिलाफ नहीं की थी। यह कहना गलत है कि वह नाजायज मॉग पूरी न होने के कारण झूठी गवाही दे रहा है।

अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0-2 मोहन प्रजापति ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि बरमदास चौरसिया उसका पड़ोसी हैं। बरमदास की लड़की अनीता चौरसिया की शादी 29 नवम्बर 2011 को दिलीप चौरसिया के साथ हुई थी। शादी में, तिलक में वह शामिल रहा। दिलीप चौरसिया कभी दहेज में रुपये पैसे की मॉग नहीं किया और अनीता के संसर्ग से एक लड़का पैदा हुआ था। घटना के समय उसकी उम्र 3 साल थी। दुर्घटनावश आग लग गयी थी जिससे अनीता गंभीर रूप से

जल गयी थी और आग से बच्चा भी झुलस गया था। बच्चे का नाम अंश है। उसे आदित्य भी कहते हैं जो अपने बाबा बद्री प्रसाद के साथ रहता है वही उसकी परवरिश करते हैं।

पी0डब्लू0-3 अरविन्द चौरसिया ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि अभियुक्त दिलीप चौरसिया को अच्छी तरीके से जानता पहचानता हूँ। उसकी शादी अनीता चौरसिया के साथ 2011 में हुयी थी। शादी में वह भी शामिल हुआ था। कोई दान दहेज की बात नहीं हुयी थी न तो दहेज की मॉग की गयी थी। दहेज की मॉग को लेकर अनीता को कभी प्रताड़ित नहीं किया गया था। अनीता चौरसिया दुष्टिनावश आग लगने के कारण जली थी। साथ में उसका लड़का 3 वर्ष का जिसका नाम आदित्य था वह भी जल गया था लेकिन इलाज के बाद लड़का बच गया था। अनीता को इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में मृत्यु हो गयी।

पी0डब्लू0-4 लाल जी प्रजापति ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि अभियुक्त दिलीप चौरसिया के घर के बगल में उसका घर है। उसके यहाँ उसका पड़ोसी होने के नाते आना जाना है। दिनांक 01.05.2015 को सुबह 10बजे दिलीप चौरसिया की पत्नी अनीता चौरसिया उसका तीन वर्षीय पुत्र आदित्य आग से जल गये थे इलाज कराने के उपरान्त लड़का बच गया था लेकिन अनीता इलाज हेतु अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मर गयी। घटना के समय सोनू उर्फ शनि, गोलू उर्फ लाली घर पर नहीं थे दोनों आई0टी0आई0 स्कूल पढ़ने गये थे। मेरे जानकारी में दिलीप चौरसिया द्वारा अपने ससुराल पक्ष के लोगों से दहेज में पचास हजार रुपये की मॉग नहीं किये थे न ही दहेज की मॉग को लेकर दिलीप चौरसिया व उसके परिवार वालों द्वारा अनीता को प्रताड़ित किया गया।

पी0डब्लू0-5 लालमणि चौरसिया ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि दिनांक 1.5.15 को मृतका अनीता पत्नी दिलीप कुमार के शव का पंचायतनामा मजिस्ट्रेट व पुलिस की मौजूदगी में उसके सामने हुआ था। शव को सील मुहर करके पोस्टमार्टम हेतु मर्चरी हाउस भेजा गया था। गवाह को पंचायतनामा प्रदर्श क-2 दिखाया गया। गवाह ने कहा कि इसपर उसके हस्ताक्षर है। वह इसकी पुस्ति करता है। विवेचक ने उसका बयान लिया था।

पी0डब्लू0-6 धर्मेन्द्र कुमार चौरसिया ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि मृतका अनीता पत्नी दिलीप कुमार की आकस्मिक दुर्घटनावश जल गयी थी उसके साथ बच्चा आदित्य भी जल गया। आदित्य इलाज के दौरान बच गया। अनीता की मृत्यु हो गयी थी। पंचायतनामा प्रदर्श क-2 पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की।

अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0-7 डा० पीयूष कुमार पाण्डेय ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि दिनांक 02.05.2015 को उसकी डियूटी शव विच्छेदन हेतु शव विच्छेदन गृह में लगी हुयी थी। उसके साथ पैनल में डा० प्रमोद कुमार श्रीवास्तव सामिल थे। उसी तिथि को समय 11.40 पर मृतका अनीता पत्नी दिलीप कुमार गांव चिरौड़ा थाना फूलपुर जिला इलाहाबाद उम्र 22 वर्ष का शव सी०पी० 1080 अखिलेश पाण्डेय थाना कोतवाली के द्वारा लाया गया था। शव प्राप्त होने पर शव पर लगे हुए सील मुहर का मिलान नमूना मुहर सील से किया गया, दुरुस्त मिला। शव के विच्छेदन की कार्यवाही 12.15पर मेरे तथा पैनल के दूसरे डाक्टर द्वारा संयुक्त रूप से की गयी। पोस्टमार्टम की कार्यवाही 12.45 पर समाप्त हो गयी। शव के साथ कुल 11 कागजात प्रस्तुत किये गये थे जो संलग्न पत्रावली है उसको देखने के बाद उसपर अपना हस्ताक्षर बनाया। दिनांक 01.05.2015 समय 12.45 पी०एम० पर मृतका अनीता मृत अवस्था में स्वरूप रानी अस्पताल में लायी गयी जिसका उल्लेख कागज सं०-७अ/४ है। मृतका ऊँचाई 162से०मी० वजन 52 किलो छरहरा बदन औसद कद काठी थी। दांत 16 X 16 थे।

बाह्य चोटें— सुपर फिसियल टू डीप बर्न पूरे शरीर में सिर्फ दोनों तलवों को छोड़कर पाया गया। लाइन आफ रेडनस मौजूद था। मिट्टी के तेल की खुशबू मौजूद थी। मिसिंग आफ हेयर मौजूद था।

आन्तरिक परीक्षण— उपरोक्तानुसार मिथिक्स व मिरिक्स की छिल्ली कंजेस्टेड थी। मिथिक्स का वजन 1300ग्राम था। हार्डबोन इन्टैक्ट थी। शूट पार्टिकिल ट्रैकिया में स्वांस की नली में मौजूद थे व ट्रैकिया कन्जेस्टेड था। फेफडे कन्जेस्टेड थे। व काटने पर ब्लैक सूट पार्टिकिल पाये गये। वजन 220ग्राम आमाशय में 200ग्राम लिक्यूड पाया गया। मृतका गर्भवती नहीं थी।

अभिमत— उनकी राय में मृतका की मृत्यु लगभग 1 दिन पूर्व की थी। मृत्यु का कारण गम्भीर रूप से जलने व शाक के द्वारा हुयी है। यह चोटें मृत्यु के लिये पर्याप्त हैं।

साक्षी को पत्रावली में संलग्न कागज संख्या 8अ/1 लगायत 8अ/2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखकर साक्षी ने कहा कि यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनके लेख व हस्ताक्षर में है। इस रिपोर्ट पर अपनी सहमति प्रदान करते हुए पैनल के दूसरे डाक्टर प्रमोद कुमार के हस्ताक्षर है। शव का पोस्टमार्टम करने के बाद संबंधित कांस्टेबिल को सुपुर्दगी में दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर प्रदर्श क-3 डाला गया। प्रति परीक्षा में कहा कि शव के शरीर पर जलने के अलावा और कोई भी चोट नहीं

पायी गयी। मृतका सिर से लेकर पैर तक जली हुयी थी। यदि किसी औरत को जलाया जाये तो वह बचने का प्रयास करेगी जिसमें चोट भी आ सकती है। यह जलने का केस सुसाइड के कारण सम्भव है।

अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0-8 लाल प्रताप सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि दिनांक 01.05.2015 को उसकी नियुक्ति इलाहाबाद जिले में क्षेत्राधिकारी फूलपुर के पद पर थी। उसी तिथि को मु0अ0सं0-207 / 15 धारा 498ए / 304बी आई0पी0सी0 व 3/4 डी0पी0 एक्ट थाना फूलपुर विरुद्ध अभियुक्त दिलीप चौरसिया आदि के विरुद्ध ग्रहण किया। दि0 01.05.2015 को पर्चा नं0-1 किता किया जिसमें नकल चिक, नकल सारांश कायमी मुकदमा व बयान वादी मुकदमा केस डायरी में अंकित किया। दिनांक 02.05.2015 को सी0डी0 पर्चा नं0-2 किता किया। अभियुक्त दिलीप चौरसिया की गिरफ्तारी व 14 दिन की रिमाण्ड व बयान अभियुक्त दिलीप कुमार चौरसिया दर्ज सी0डी0 किया। दिनांक 06.05.2015 को पर्चा नं0-3 किता किया गया जिसमें स्वतंत्र साक्षी अरविन्द चौरसिया, विजय चौरशिया, लाल जी प्रजापति व बयान नामित अभियुक्त सोनू व अभियुक्त बाली उर्फ गोलू का बयान अंकित किया। इसके पश्चात उनका स्थानान्तरण हो जाने के बाद इस अभियोग की विवेचना आने वाले क्षेत्राधिकारी द्वारा की गयी। प्रति परीक्षा में कहा है कि उसने केवल 5 दिन तक ही अपराध की विवेचना किया था इसलिये ज्यादा साक्ष्य संकलन नहीं कर पाया। उसके समक्ष वादी ने जो बयान दिया था वह आंशिक था उसमें किसी अभियुक्त द्वारा दहेज की माँग को लेकर जला कर मार डालने की बात नहीं बतायी गयी थी।

बचावपक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी डी0डब्लू0-1 मूलचन्द्र प्रजापति ने अपने बयान में कहा है कि मैं दिलीप चौरसिया के गांव व घर का पड़ेसी होने के नाते भली भाँति जानता हूँ। खाली समय में हाल चाल लेने दिलीप के घर जाया करता था। दिलीप चौरसिया की पत्नी अनीता को भी भली भाँति जानता था। दिलीप चौरसिया ने कभी भी अपने ससुराल व पत्नी से दहेज की माँग नहीं किया था न ही कभी दहेज के लिए अपनी पत्नी को प्रताड़ित किया था। दिनांक 01.05.2015 को समय लगभग 10बजे सुबह वह अपने दरवाजे पर बैठा था। चीख पुकार की आवाज सुनकर मैं दिलीप के घर पहुँचा तो देखा कि दिलीप की पत्नी अनीता बच्चे के लिये स्टोप पर दूध गरम कर रही थी। स्टोव में मिट्टी का तेल ओवर फ्लो होने के कारण आग लग गयी। स्टोप जलाते समय ही अनीता और उसका 2 वर्ष का लड़का अंश उर्फ आदित्य भी जल गया। घटना के समय दिलीप अपने खेत पर काम करने गया था। घटना की खबर सुनकर मेरे सामने दिलीप खेत से भागता हुआ आया और

अपनी पत्नी तथा बच्चे को लेकर इलाज हेतु इलाहाबाद लेकर आया लेकिन मेडिकल अस्पताल में अनीता मर गयी व दिलीप का पुत्र अदित्य लम्बे इलाज के बाद ठीक हो गया। आदित्य के गाल व शरीर पर जले हुए के निशान आज भी मौजूद हैं। अनीता की मृत्यु दुर्घटनावश आग लगने के कारण हुयी है। दिलीप निर्दोष है उसने अपनी पत्नी अनीता को नहीं जलाया। घटना के बारे में मुझे जो जानकारी थी जो मौके पर देखा था वही बता रहा हूँ। जिसमें कहा है कि वह पान का व्यवसाय विगत 10 वर्षों से कर रहा है। वह चिरौड़ा गाँव का मूल निवासी है व दिलीप चौरसिया को 15–16 साल से पड़ोसी होने के नाते जानता है। आग से जल जाने पर इलाज हेतु अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दिलीप की पत्नी की मृत्यु हुयी थी। उसे आग कैसे लगी उसने नहीं देखा। घटना लगभग 10बजे सुबह की है। वह अपनी दुकान सुबह 8बजे खोलता है और मौसम के हिसाब से शाम को बन्द करता है। घटना वाले दिन वह खाना खाने घर आया था और घर पर ही था।

डी0डब्लू0-2 राजेन्द्र प्रसाद यादव उम्र 70वर्ष निवासी चिरौड़ा थाना फूलपुर ने अपने सशपथ बयान में कहा है कि घटना दिनांक 1.5.2015 को सुबह 10बजे वह अपने दरवाजे पर चारपायी में बैठा था। दिलीप चौरसिया के घर से शोर सुनकर वह वहाँ पहुँचा तो देखा कि दिलीप की पत्नी अनीता अपने दो वर्षों पुत्र के लिये स्टोप पर दूध गरम करने का प्रयास कर रही थी। स्टोप बार-बार जलता-बुझता था। स्टोप जलाने के प्रयास में ही मिट्टी का तेल ओवरफ्लो हो गया जिससे अनीता की साड़ी व उसके पुत्र आदित्य को आग पकड़ लिया। दिलीप जो अपने खेत पर काम कर रहा था, घटना की खबर सुनकर भागता हुआ घर आया तथा पड़ोसी व घर वालों की मदद से आग बुझाकर अपनी पत्नी व पुत्र को इलाज हेतु इलाहाबाद ले गया। रास्ते में पत्नी की मृत्यु हो गयी व बेटा लम्बे इलाज के बाद ठीक हो गया जो जीवित है। बेटे के गाल व शरीर के अन्य भाग में जलने के अब भी निशान बाकी है। दिलीप ने अपनी पत्नी व ससुराल वालों से कभी भी दहेज की मँग नहीं की न ही पत्नी को जलाया। दिलीप से बरमदास चौरसिया ने कुछ रूपया उधार लिया था, जिसे देने में वह हीला हवाली करता था। दुर्घटना हो जाने के कारण उसने द्वेष व आकोश के कारण झूठा मुकदमा लिखाया है। प्रति परीक्षा में कहा कि घटना के दिन वह अपने घर पर था। घटना का शोर सुनकर जब वह अभियुक्त के घर गया तो अभियुक्त की पत्नी को जली अवस्था में देखा। लोगों ने बताया था कि वह बच्चे का दूध उबाल रही थी। स्टोप भभकने से वह जली है। अन्दर देखा गया तो कमरे में दूध गिरा हुआ था।

उभयपक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों के आलोक में पत्रावली में उपलब्ध

साक्ष्य के सम्यक परिशीलन से सुर्पष्ट है कि मृतका की शादी अभियुक्त के साथ दिनांक 29.11.2011 को हुयी थी तथा मृतका की मृत्यु आग से जलने के कारण अस्वाभाविक रूप से दिनांक 01.05.2015 को हुयी है।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304बी के अधीन अपराध को परिभाषित किया गया है जिसके मुख्य तत्व निम्नलिखित हैं:-

- 1— जहाँ किसी स्त्री की मृत्यु उसके विवाह के 7 साल के भीतर हुयी हो,
- 2— उक्त मृत्यु किसी दाह या किसी शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है या सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हुयी हो,
- 3— उक्त मृत्यु के कुछ पूर्व पति ने या उसके पति के किसी नातेदार ने उसके साथ कूरता की थी या उसे तंग किया था,
- 4— उक्त कूरता या तंग किया जाना दहेज की किसी मॉग के लिये या उसके संबंध में किया गया हो, तब ऐसी मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जायेगा।

प्रस्तुत मामले में यह स्वीकृत तथ्य है कि मृतका अनीता की मृत्यु उसके विवाह के 7 साल के भीतर हुयी है तथा उक्त मृत्यु उसके आग से जलने के कारण अस्वाभाविक रूप से हुयी है। अब प्रश्न यह है कि क्या उक्त मृत्यु के पूर्व मृतका के पति या पति के नातेदार ने उसके साथ कोई कूरता की थी या नहीं तथा उक्त कूरता दहेज की मॉग के लिये अथवा उसके संबंध में हुयी थी या नहीं।

इस संबंध में पी0डब्लू0-1 बरमदास चौरसिया वादी का बयान उल्लेखनीय है जिसमें उसने कथन किया है कि लड़की की विदाई कराने वह शादी के 10दिन बाद गया था तब उसके दामाद दिलीप व सास तथा जेठ के लड़के ने उससे दहेज के रूप में पचास हजार रुपये की मॉग की थी व लड़की की विदाई नहीं किये जिसपर वह वापस चला आया। फिर दो माह बाद वह गया। दिनांक 30.4.2015 को 7बजे शाम को उसकी लड़की अनीता ने फोन करके कहा कि पापा कम से कम 10 हजार रुपये भेज दीजिये जिसपर उसने कहा कि दिलीप पास हो तो उसे फोन दे दो। दिलीप ने फोन लेकर उससे कहा कि कल रुपया लेकर आ जाईयेगा। जिसपर उसने असमर्थता व्यक्त की तो दिलीप ने फोन काट दिया। घटना दिनांक 01.05.2015 की है। यह सही है कि वादी ने अपनी प्रति परीक्षा में कथन किया है कि उसकी लड़की अपने पति के साथ दिल्ली में रहती थी तथा घटना के 3 दिन पहले वह दिल्ली से अपने पति के साथ गॉव वापस आयी थी। इस प्रकार बचावपक्ष की ओर से किया गया यह कथन कि मृतका व उसका पति अभियुक्त दिलीप घटना के पूर्व दिल्ली में रहते थे, सही है किन्तु बचावपक्ष का यह कहना कि यदि अभियुक्त को दहेज को लेकर मृतका के साथ कोई घटना कारित करनी

होती तो वह दिल्ली में करता न कि दिल्ली से गॉव आकर, मानने योग्य नहीं है क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है जहाँ कानून व्यवस्था ज्यादा चाक चौबन्द है साथ ही अभियुक्त के मददगार का भी वहाँ अभाव है। अपने घर गॉव में घटना कारित करना ज्यादा सहज होता है। दिनांक 30.4.2015 को शाम 7बजे मृतका का अपने पिता से यह कहना कि वह कम से कम 10 हजार रूपये भेज दे, निश्चित रूप से मृतका द्वारा विवशता अथवा तंग हालत में किया गया फोन प्रतीत होता है। यही नहीं वादी ने अभियुक्त से भी उसी समय बात की तो अभियुक्त ने भी उससे 10 हजार रूपये लेकर आने को कहा तथा वादी द्वारा असमर्थता जाहिर करने पर फोन काट दिया व अगले दिन ही यह घटना कारित हो गयी। यह सही है कि वादी ने अपनी प्रति परीक्षा में कहा है कि उसकी लड़की ने किस नम्बर से फोन किया वह यह नहीं बता सकता तथा विवेचक ने उसका फोन कब्जे पुलिस में नहीं लिया था। वादी के फोन को कब्जे पुलिस में लेना व घटना के 1दिन पूर्व मृतका व उसके पिता तथा अभियुक्त के बीच हुई वार्ता के संबंध में काल डिटेल निकवाना तथा उक्त तथ्य की सत्यता को जानने का कार्य दौरान विवेचना विवेचक का है। यदि विवेचक ने विवेचना में कोई कमी की है तो उसका लाभ विधि व्यवस्था दशरथ सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2004) 7 एस0सी0सी0 408 के अनुसार अभियुक्त को नहीं दिया जा सकता। ऐसी स्थिति में वादी के सशपथ बयान से मृतका की मृत्यु के कुछ पूर्व अर्थात् घटना के 1 दिन पूर्व मृतका के पति द्वारा दहेज की माँग किया जाना साबित है।

इस संबंध में स्वीकृत रूप से वादी घटना का चक्षुसाक्षी नहीं है। घटना हो जाने के बाद करीब बारह साढे बारह बजे फोन से सूचना मिलने पर वह स्वरूपरानी अस्पताल पहुँचा व वहाँ मोर्चरी हाउस में अपनी लड़की की लाश को दो ढाई बजे दिन में देखा था। पी0डब्लू0-7 डा० पीयूष कुमार पाण्डेय ने मृतका का पोस्टमार्टम किया है जिसमें उसने मृतका की मृत्यु का कारण गम्भीर रूप से जलने व शाक के कारण होना पाया है तथा अपनी प्रति परीक्षा में कहा है कि शव के शरीर पर जलने के अलावा और कोई भी चोट नहीं पायी गयी तथा जलने की चोट सिर से लेकर पैर तक थी तथा बचने के प्रयास करने में मृतका को अन्य चोटें आ सकती हैं। यह जलने का केस सुसाइड के कारण सम्भव है। इस प्रकार चिकित्सक ने मृतका के शरीर पर जलने की चोट के अतिरिक्त कोई अन्य चोट न होने से मृतका द्वारा घटना को आत्महत्या के रूप में होना बताया है जो कि अभियोजन एवं बचावपक्ष दोनों के कथन से भिन्न है। अभियोजन का कथन है कि मृतका को जलाकर उसकी मृत्यु कारित की गयी है जबकि बचावपक्ष की ओर से कथन है कि

मृतका द्वारा अपने छोटे बच्चे के लिये स्टोप में दूध गरम करते समय आग के भभकने से उसे व उसके पुत्र को आग लगी जिससे दोनों जल गये व इलाज के दौरान पुत्र बच गया किन्तु मृतका इलाज हेतु लाते समय रास्ते में ही मर गयी। स्वीकृत रूप से घटना का चक्षुसाक्षी वादी नहीं है। दिनांक 30.4.2015 को शाम 7बजे मृतका का अपने पिता से यह कहना कि वह कम से कम 10 हजार रुपये भेज दे, निश्चित रूप से मृतका द्वारा विवशता अथवा तंग हालत में किया गया फोन प्रतीत होता है। यही नहीं वादी ने अभियुक्त से भी उसी समय बात की तो अभियुक्त ने भी उससे 10 हजार रुपये लेकर आने को कहा तथा वादी द्वारा असमर्थता जाहिर करने पर फोन काट दिया व अगले दिन ही यह घटना कारित हो गयी। वादी के सशपथ बयान व घटना की परिस्थितियों के आलोक में अभियुक्त द्वारा मृतका के साथ मानसिक कूरता किया जाना साबित होता है।

पी0डब्लू0-7 डा० पीयूष कुमार ने पोस्टमार्टम करते समय बाह्य चोटें अंकित की हैं जिसके अनुसार सुपरफीसियल टू डीप बर्न पूरे शरीर में सिर्फ दोनों तलवे को छोड़कर पायी गयी थी। लाइन आफ रेडनेस मौजूद थी तथा मिट्टी के तेल की खुशबू मौजूद थी। सामान्यतः स्टोप से आग लगने पर मृतका का पूरा शरीर जलना सम्भव नहीं है। स्टोप की आग भभकने से आग मृतका की साड़ी में लगना सम्भाव्य है किन्तु मृतका का पूरा शरीर जल जाये सम्भव नहीं है। स्टोप के मिट्टी के तेल की मात्रा इतनी नहीं हो सकती कि उसकी महक इतनी अधिक हो जो पी0एम0 होने तक अर्थात् दिनांक 02.05.2015 को घटना के एक दिन बाद तक भी बनी रहे। यह तभी सम्भव है जब मिट्टी के तेल को पर्याप्त मात्रा में साशय मृतका पर डालकर उसे जलाया जाये। जहाँतक उसे जलने की चोट के अतरिक्त अन्य चोट न आने का संबंध है यह भी दर्शित करता है कि मृतका को भागने या अपना बचाव करने का अवसर भी नहीं मिलने दिया गया। जहाँतक मृतका के पुत्र के शरीर पर जली हुयी चोट के निशान का संबंध है यह सम्भव है कि वह अपनी माँ की ओर उसे जलता देखकर गया हो। अभियुक्त को जलने की कोई चोट होने का बचाव कथन नहीं है। उसने अपने बयान अन्तर्गत धारा 313 में भी घटना के समय स्वयं को घर में न होने अथवा खेत में होने का कथन जैसा कि गवाहान ने किया है, नहीं किया है। केवल मृतका को दुर्घटनावश आग लगना कहा है। अंत में उल्लेखनीय है कि फटा हुआ स्टोप, बिखरा हुआ दूध व घर में जला हुआ अन्य सामान आदि मामले के किसी विवेचक द्वारा अभियुक्त के घर से बरामद नहीं हुआ है। अतः मामला दहेज मृत्यु का होना पाया जाता है।

पी0डब्लू0-2 मोहन प्रजापती, पी0डब्लू0-3 अरविन्द चौरसिया, पी0डब्लू0-4

लाल जी प्रजापति ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया एवं पक्षद्वाही हो गये हैं। उनकी प्रति परीक्षा में भी कोई ऐसा तथ्य नहीं आया जो अभियोजन कथानक का समर्थन कर सके। पी0डब्लू0-5 लालमणि चौरसिया व पी0डब्लू0-6 धर्मेन्द्र कुमार चौरसिया पंचायतनामा के साक्षी हैं व उन्होंने मृतका का पंचायतनामा मजिस्ट्रेट व पुलिस की मौजूदगी में अपने सामने होना कहा है। प्रस्तुत मामले के विवेचक पी0डब्लू0-8 लाल प्रताप सिंह ने भी अपनी प्रति परीक्षा में कहा है कि उनकी विवेचना के दौरान वादी ने अपने आंशिक बयान में किसी अभियुक्त द्वारा दहेज की माँग को लेकर मृतका को जला कर मार डालने की बात नहीं बतायी है। विवेचक लाल प्रताप सिंह प्रस्तुत मामले में पाँच दिन तक विवेचक रहे हैं। इन्होंने इस दौरान घटनास्थल जाकर नक्शा नजरी तक नहीं बनाया केवल थाने में वादी व गवाहान का बयान अंकित किया है। इस प्रकार इनके द्वारा विवेचना में घोर लापरवाही बरती गयी है।

बचाव साक्षी मूल चन्द्र प्रजापति व राजेन्द्र प्रसाद यादव ने स्टोप पर दूध गरम करते समय मिट्टी का तेल ओवरफ्लो हो जाने के कारण मृतका व उसके पुत्र को आग लगने का कथन किया है। दोनों ही घटना के चक्षुसाक्षी नहीं हैं क्योंकि घटना घर के अन्दर की है। डी0डब्लू0-1 मूलचन्द्र प्रजापति ने अपनी प्रति परीक्षा में कहा भी है कि दिलीप की पत्नी को कैसे आग लगी यह उसने नहीं देखा। जिस दिन की घटना है वह उस दिन अपने घर खाना खाने आया था और घर पर ही था। वह प्रतिदिन अपनी दुकान सुबह 8बजे खोलता है व मौसम के हिसाब से शाम को बन्द करता है। निश्चित रूप से वह घटना के समय अपनी दुकान पर था। वह सुनी-सुनायी बातों के आधार पर सशपथ बयान किया है। इसी प्रकार डी0डब्लू0-2 राजेन्द्र प्रसाद यादव ने भी अपनी प्रति परीक्षा में कहा है कि जब वह शोर सुनकर अभियुक्त के घर गया तो मृतका अनीता को जली हुयी अवस्था में देखा था व लोगों ने दूध उबालते समय स्टोप के भभकने से जलना बताया था। यह साक्षी भी घटना का चक्षुसाक्षी नहीं है। यद्यपि कि इसने यह कहा है कि जब उसने अन्दर जाकर देखा तो कमरे में दूध गिरा हुआ था किन्तु विवेचक द्वारा तैयार किये गये नक्शा नजरी प्रदर्श क-6 में कहीं भी घटनास्थल में दूध का गिरना व स्टोप का होना आदि तथ्य दर्शित नहीं किये गये हैं। नक्शा नजरी प्रदर्श क-6 की औपचारिक सत्यता बचावपक्ष द्वारा स्वीकार की गयी है।

बचावपक्ष की ओर से वादी द्वारा अभियुक्त से पच्चीस हजार रुपये उधार देने व उसके देने में हीला हवाली करने तथा घटना घटित हो जाने पर अभियुक्त के विरुद्ध झूठा मुकदमा लिखाये जाने की बात कही गयी है जो कि

विश्वसनीय नहीं है क्योंकि वादी से इस संबंध में कोई प्रश्न उसकी प्रति परीक्षा में नहीं किया गया है न ही इस संबंध में वादी से कोई सुझावात्मक प्रश्न ही किया गया है। वादी ने स्वीकार किया है कि दिनांक 15.09.2014 को उसके दामाद ने पच्चीस सौ रुपये बैंक के माध्यम से अपनी बीवी अर्थात् मृतका व बच्चे के लिये किसी काम के लिये जमा किया था जो कि वादी द्वारा लिया गया उधार रुपया नहीं हो सकता।

धारा 304बी भारतीय दण्ड संहिता के अधीन वर्णित कूरता का वही अर्थ है जो कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498क में है जिसके अनुसार— कूरता से अभिप्रेत है कि जानबूझ कर किया गया कोई ऐसा आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे उस स्त्री को आत्म हत्या करने के लिये प्रेरित करने की या उस स्त्री के जीवन, अंग या स्वास्थ्य को (जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक) गम्भीर क्षति या खतरा कारित करने की संभावना हो।

बचावपक्ष की ओर से विधि व्यवस्था सन्तोष बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2018 (1) इलाहाबाद जे0आई0सी0 452 संदर्भित की गयी है जिसके अनुसार जहाँ दहेज की मॉग के संबंध में, कूरता के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है तथा विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त (पति) के अतिरिक्त अन्य अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया गया है वहाँ अभियुक्त भी दोषमुक्त किये जाने योग्य है, संदर्भित की गयी है। प्रस्तुत मामले के तथ्य व विधि व्यवस्था में संदर्भित मामले के तथ्य भिन्न हैं क्योंकि प्रस्तुत मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट में परिवार के अन्य नामजद लोगों के विरुद्ध आरोपपत्र पुलिस द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है मात्र एक अभियुक्त ही है तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304बी के सभी आवश्यक तत्व साबित हुये हैं। अतः संबंधित विधि व्यवस्था प्रस्तुत मामले में प्रयोज्य नहीं है।

बचावपक्ष की ओर से विधि व्यवस्था सोनू उर्फ आशिक बनाम स्टेट आफ उत्तरांचल 2015 (2) इलाहाबाद जे0आई0सी0 175 भी संदर्भित की गयी है जहाँ पीड़िता के माता एवं भाई अभियोजन द्वारा परीक्षित कराये गये हैं, ने अपने सशपथ बयान में अभियुक्त द्वारा दहेज की मॉग के संबंध में कोई भी कथन नहीं किया गया है वहाँ अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाना चाहिये भी संदर्भित विधि व्यवस्था भी प्रस्तुत मामले में प्रयोज्य नहीं है क्योंकि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षी पी0डब्लू0-1 बरमदास चौरसिया पीड़ित मृतका का पिता है उसने अभियोजन कथानक का पूरी तरह समर्थन किया है। अन्य साक्षीगण अभियुक्त या वादी के गाँव के हैं। वादी के घर के नहीं हैं।

मामले में उपलब्ध साक्ष्य के सम्यक परिशीलन से सुर्पष्ट है कि वादी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में किये गये कथन का समर्थन चिक एफ0आई0आर0 प्रदर्श क-5 व तहरीर प्रदर्श क-1 में वर्णित तथ्यों से भी हो रहा है। इस प्रकार उपलब्ध साक्ष्य के सम्यक परिशीलन से मामले में अभियुक्त के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 304बी भारतीय दण्ड संहिता का अपराध साबित होना पाया जाता है। साथ ही अभियुक्त द्वारा मृतका की प्रथम विदाई के समय 50हजार रुपये की अतिरिक्त दहेज के रूप में मौग करने व दिनांक 30.4.2015 को मृतका द्वारा अपने पिता ने कम से कम दस हजार रुपये देने की बात होने के बाद अभियुक्त द्वारा भी यह कहना कि कल दस हजार रुपये लेकर आ जाईयेगा कहना निश्चित रूप से अभियुक्त द्वारा दहेज की मौग करना व मृतका को प्रताड़ित करना स्पष्ट है। मामले में उपलब्ध समस्त तथ्यात्मक साक्ष्य के दृष्टिगत अभियुक्त के विरुद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 304बी व 498ए भारतीय दण्ड संहिता व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम साबित होता है।

इस प्रकार कृत समीक्षा के आधार पर अभियुक्त को अन्तर्गत धारा 304बी, 498ए भारतीय दण्ड संहिता व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अधीन दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है उसे जेल से तलब कर दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली मध्यावकाश के पश्चात लन्च के पश्चात पेश हो।

दिनांक—07.01.2021  
रजनीश |  
( राम किशोर शुक्ल )  
अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0 1,  
इलाहाबाद  
(आई0डी0नं0—UP-5741)

मध्यावकाश के पश्चात दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली प्रस्तुत हुई। जेल से तलब होकर दोषसिद्ध अभियुक्त दिलीप चौरसिया प्रस्तुत किया गया।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क किया गया कि अभियुक्त घटना होने के समय से ही लगभग साढ़े पाँच साल से अधिक समय से जेल में निरुद्ध है उसे कम से कम दण्ड से दर्शित किया जाये क्योंकि अभियुक्त के पुत्र आदित्य की देखभाल अभियुक्त के परिवार के लोगों के द्वारा किया जा रहा है तथा आदित्य माता सुख के साथ—साथ पिता सुख से भी वंचित है।

उपर्युक्त के विपरीत अभियोजन की ओर से अभियुक्त को अधिक से अधिक दण्ड से दण्डित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उभयपक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों को सुना एवं पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का पुनः परिशीलन किया। मामले में वादी के अतिरिक्त अन्य परीक्षित साक्षीगण के पक्षद्वोही होने तथा वादी के स्वयं चक्षुसाक्षी न होने आदि के तथ्यों के दृष्टिगत मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में अभियुक्त को अन्तर्गत धारा 304बी भारतीय दण्ड संहिता के अधीन 7 वर्ष के सश्रम कारावास व अर्थदण्ड, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498ए के अधीन 1 वर्ष के सश्रम कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित है।

अन्तर्गत धारा 3 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में 5 वर्ष के कारावास से कम न होने वाले कारावास की अवधि से तथा 15 हजार रुपया या ऐसे दहेज के मूल्य की रकम से जो भी अधिक हो, हो सकने वाले जुर्माने से दण्डित किये जाने का प्राविधान है परन्तु न्यायालय द्वारा यथोचित और विशेष कारणों से 5वर्ष से कम अवधि के कारावास का दण्ड आरोपित किया जाना भी प्राविधानित किया गया है। मामले में अभियुक्त द्वारा यद्यपि मृतका की प्रथम विदाई के संबंध में पचास हजार रुपये की मॉग किये जाने का आरोप है किन्तु घटना के एक दिन पूर्व मात्र दस हजार रुपये की मॉग का कथन वादी द्वारा किया गया है। ऐसी स्थिति में दहेज के संबंध में किये जाने वाले दुष्प्रेरण के लिये अन्तर्गत धारा 3 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में मात्र एक वर्ष के सश्रम कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित होगा तथा धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के लिये एक वर्ष के सश्रम कारावास व अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया जाना उचित होगा।

### आदेश

अभियुक्त दिलीप कुमार चौरसिया को मुकदमा अपराध संख्या—207/2015 थाना फूलपुर जनपद इलाहाबाद अन्तर्गत धारा 498ए, 304बी भारतीय दण्ड संहिता व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में दोषसिद्ध किया जाता है।

अभियुक्त अन्तर्गत धारा 304बी भारतीय दण्ड संहिता में 7 वर्ष के सश्रम कारावास व पाँच हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतेगा।

अभियुक्त अन्तर्गत धारा 498ए भारतीय दण्ड संहिता में 1वर्ष के सश्रम कारावास व एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त 10 दिन का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतेगा।

अभियुक्त दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 में 1 वर्ष के सश्रम कारावास व पंद्रह हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने पर तीन माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतेगा।

अभियुक्त दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के अधीन 1 वर्ष के सश्रम कारावास व एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने पर 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतेगा।

दण्डादिष्ट सभी सजायें साथ-साथ चलेंगी।

अभियुक्त द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि दण्डादिष्ट अवधि में समायोजित होगी।

इस निर्णय की एक प्रति अभियुक्त को तत्काल निःशुल्क प्रदान की जाये।

अभियुक्त का सजायाबी वारण्ट बनाकर उसे सजा भुगतने हेतु जेल प्रेषित किया जाये।

दिनांक—07.01.2021  
रजनीश।

( राम किशोर शुक्ल )  
अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं० १,  
इलाहाबाद  
(आई०डी०नं०—UP-5741)

आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा यह निर्णय हस्ताक्षरित, दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक—07.01.2021  
रजनीश।

( राम किशोर शुक्ल )  
अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं० १,  
इलाहाबाद  
(आई०डी०नं०—UP-5741)